

**अनुमति की शर्तें ।**

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामिन् स्विकृत करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, प्रशासनिक या अन्य) होने की स्थिति में नियम का कोई उल्लंघन नहीं होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करता ही आवेदनक नियम को पालन करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

**प्रकल खिड़की केवल आवासीय इलाका**

**कार्यालय नगर निगम, जोधपुर**

आवेदन क्रमांक 485 दिनांक 21/12/2019

नाथी सुरेश कुमार जालम डा. श्री परमानन्द जालम

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

घारा 194 (7) (ग) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मासिक कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 8342/- जमा

जारीये रसीद संख्या 1028/1651, 1652

दिनांक 21/01/2020 को जमा करा दी है ।

21/12/2020

सहायक नगर नियोजक

नगर निगम, जोधपुर

सहायक निगम

9282558899

परी +1  
आवासीय

P.No : 2 अ-27 चौपायाकी  
राउमिज बोर्ड